CIRCULAR NO. 02/2016

F.No.500/82/2015-FTD.I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes
(Foreign Tax & Tax Research Division-I)

****

New Delhi, Dated the 25th February, 2016

Subject: Benefits of the India-United Kingdom (UK) Double Taxation Avoidance Agreement to UK partnership firms.

****

An Amending Protocol to the India-UK Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) was notified vide Notification No. 10/2014 dated 10th February, 2014 with effect from 27th December, 2013. As a result of the aforesaid Protocol, *inter alia*, the earlier definition of the term "person" in Article 3(1)(f) of the DTAA was amended to delete the exclusion of UK partnership firms, and in addition, it has been provided in Article 4 of the DTAA that in case of a partnership, estate or trust, the term "resident of a Contracting State" applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

2. Apprehensions that the term "person" in the DTAA does not specifically include "partnerships" have been brought to the notice of the Central Board of

Contd...2/-

Direct Taxes (the Board), and further clarity has been sought on whether the provisions of the treaty are applicable to a partnership. In exercise of the powers conferred under section 119 of the Income-tax Act, 1961, the Board hereby clarifies that the provisions of the India-UK DTAA would be applicable to a partnership that is a resident of either India or UK, to the extent that the income derived by such partnership, estate or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its own hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

3. This may be brought to the notice of all concerned.

(Dinesh Antil)
Under Secretary (FT&TR-I)(2)

Copy to:-

1. The Chairman, Members and officers of the CBDT of the rank of Under Secretary and above.
2. All Pr. Chief Commissioners of Income-tax & All Directors General of Income-tax with a request to bring to the attention of all officers.
3. The Pr. Director General of Income-tax, NADT, Nagpur
4. The Pr. DGIT(Systems), ARA Centre, Jhandewalan Extension, New Delhi
5. The Pr. DGIT (Vigilance), New Delhi.
6. The ADG (PR, PP & OL), Mayur Bhawan, New Delhi for printing in the quarterly tax bulletin and for circulation as per usual mailing list (100 copies)
7. The Comptroller and Auditor General of India (40 copies)
8. The ADG-4 (Systems) for uploading on ITD website
9. Data Base Cell for uploading on irsofficersonline.
10. Guard file

(Dinesh Antil)
Under Secretary (FT&TR-I)(2)

परिपत्र संख्या 02/2016

फा. सं. 500/82/2015 - वि.क.प्र. I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
विदेशी कर तथा कर अनुसंधान-1 प्रभाग

****

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी, 2016

विषय : यूके के साझेदारी फर्मों को भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) दोहरे कराधार परिहार करार का लाभ:

****

27 दिसंबर, 2013 के प्रभाव से अधिसूचना संख्या 20/2014, दिनांक 10 फरवरी, 2014 के तहत भारत-यूके दोहरे कराधान के परिहार करार (डीटीएए) का एक संशोधनकारी प्रोटोकॉल अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप, *अन्य बातों के साथ-साथ* डीटीएए के अनुच्छेद 3(1)(च) में "व्यक्ति" शब्द की पूर्व परिभाषा को यूके की साझेदारी फर्मों के अपवर्जन को हटाने के लिए संशोधित किया गया था तथा, इसके अतिरिक्त डीटीएए के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि साझेदारी, एस्टेट अथवा न्यास के मामले में, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद केवल वहीं तक लागू होगा, जहां तक ऐसी साझेदारी, एस्टेट अथवा न्यास द्वारा अर्जित आय उस राज्य में निवासी की, या तो स्वयं के हाथों में अथवा इसके भागीदारों या लाभार्थियों के हाथों में, आय के तौर पर कराधेय है।

2. यह शंका कि डीटीएए में "व्यक्ति" पद में विशेषतया "भागीदारों" को शामिल नहीं किया गया है, को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(बोर्ड) की नज़र में लाया गया है तथा इस बात पर और स्पस्टीकरण मांगा गया है कि क्या संधि के उपबंध भागीदार पर लागू होते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने एतदद्वारा स्पष्ट किया है कि भारत-यूके डीटीएए के उपबंध उस भागीदार पर लागू होंगे, जो या तो भारत का निवासी है या यूके

जारी...2/-

का, इस सीमा तक कि ऐसी भागीदारी, एस्टेट अथवा न्यास द्वारा अर्जित आय उस राज्य में निवासी की, या तो स्वयं के हाथों में अथवा इसके भागीदारों या लाभार्थियों के हाथों में, आय के तौर पर कराधेय है।

3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(दिनेश अंतिल)
अवर सचिव [वि.क.एवं क.अनु.I(2)]

प्रतिलिपि:

1. सीबीडीटी के अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव एवं ऊपर के रैंक के अन्य सभी अधिकारी।
2. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों एवं सभी आयकर महानिदेशकों को इस अनुरोध के साथ कि इसे सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
3. आयकर प्रधान महानिदेशक, एनएडीटी, नागपुर
4. प्रधान डीजीआईटी (सिस्टम्स), एआरए केंद्र, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली
5. प्रधान डीआईटी (सतर्कता), नई दिल्ली
6. एडीजी (पीआर, पीपी एंड ओएल) मयूर भवन, नई दिल्ली को तिमाही कर बुलेटिन में मुद्रण एवं सामान्य डाकसूची के अनुसार परिचालन हेतु (100 प्रतियां)
7. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (40 प्रतियां)
8. एडीजी (सिस्टम्स) को आइटीडी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
9. डेटा बेस सेल को irsofficersonline पर अपलोड करने के लिए
10. गार्ड फाइल

(दिनेश अंतिल)
अवर सचिव [वि.क.एवं क.अनु.I(2)]